

**न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला -बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-870/2012

संस्थित दिनांक-31.10.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

जोनूदास पिता चैनदास, उम्र-30 वर्ष, जाति पनिका

साकिन-वार्ड नं. 06, कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// निर्णय //

**(आज दिनांक-27/05/2015 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-19.10.2012 को करीब 08:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत स्थान वार्ड नं. 06 मस्जिद के सामने चौक में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतों पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुए के प्रचार-प्रसार में सहयोग किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र बैहर के सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी को दिनांक-19.10.2012 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कम्पाउण्डरटोला वार्ड नंबर-06 में मस्जिद के पास अपने घर के सामने एक व्यक्ति रूपये पैसे का दांव लगाकर हार-जीत का खेल खिलाने के लिए सट्टा-पट्टी पर अंक लिख रहा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टॉफ आरक्षक क्रमांक-791, 1117 के साथ घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जोनूदास पिता चैनदास, जाति पनिका निवासी वार्ड नं-6 बैहर बताया। साक्षियों के समक्ष आरोपी के पास से एक डॉट पेन, एक सट्टा-पट्टी तथा कुल 125/-रूपये साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-150/2012, अंतर्गत धारा-4 "क" सार्वजनिक द्युत अधिनियम पंजीबद्ध कर

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3— आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी दिनांक-19.10.2012 को करीब 08:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत स्थान वार्ड नं. 06 मस्जिद के सामने चौक में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतों पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुए के प्रचार-प्रसार में सहयोग किया ?

#### **विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.10.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कम्पाउण्डर टोला मस्जिद के पास रूपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी का अंक लिख रहा है। फिर उसने हमराह स्टॉफ के साथ मिलकर घेराबंदी कर सट्टा-पट्टी लिखते हुए पकड़ा, जिसने अपना नाम जोनूदास पिता चैनदास बताया। आरोपी के पास से एक सट्टा-पट्टी, एक लाल रंग का डॉट पेन एवं नगदी 125/-रूपये साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर आरोपी जोनूदास के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक-150/12, धारा-4 ए सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी सुरेन्द्रसिंह, मोहनलाल, आरक्षक धानेश्वर एवं आरक्षक भानू के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-19.

10.2012 का रवानगी, वापसी सान्हा क्रमांक-707 एवं 710 लेख कर चालान के साथ सत्य प्रतिलिपि संलग्न किया है, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों के अनुरूप साक्ष्य में कथन करते हुए उसके द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही व शेष अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— मोहनलाल पटेल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह आरोपी जोनूदास को जानता है। घटना वर्ष 2012 की शाम की है। उक्त घटना दिनांक को वह सहायक उपनिरीक्षक चौधरी साहब के साथ वार्ड नं-6 कम्पाउण्डर टोला बैहर गया था, तो आरोपी जोनूदास उन लोगों को देखकर भागने लगा था। फिर आरोपी जोनूदास को पकड़ने पर उसके पास से एक सट्टा-पट्टी, एक डॉट पेन और लगभग 125/-रुपये मिले थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से उक्त सामग्री जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी जोनूदास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 बनाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

8— सुरेन्द्र सिंह (अ.सा.1) एवं धनेश्वर टेकाम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि उनके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी। पुलिस ने उनके कोई बयान नहीं लिये थे। सुरेन्द्र सिंह (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई तथा पुलिस ने थाने में कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी धनेश्वर टेकाम (अ.सा.3) को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने आरोपी से घटना के समय सट्टा-पट्टी, डॉट पेन व नगद राशि जप्त की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— मामले को साबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहाँ उक्त एकमात्र साक्षी की विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।

10— प्रकरण में जप्ती अधिकारी के द्वारा घटना के समय कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर आरोपी से जप्ती की कार्यवाही की जाना प्रकट किया गया है। इस संबंध में जप्ती अधिकारी लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.2) ने घटना के समय थाने से रवानगी एवं वापसी सान्हा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 पेश किया है। इस साक्षी के द्वारा मौके पर आरोपी के द्वारा सट्टा-पट्टी लिखते हुए पकड़े जाने और उसके पास से सट्टा-पट्टी, डॉट पेन व नगद राशि 125/-रुपये जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त कर उसी समय आरोपी को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 के अनुसार गिरफ्तार किया जाना एवं थाना वापस आकर प्राथमिकी दर्ज किया जाना बताया है। साक्षी के उक्त कथन का समर्थन अन्य साक्षी मोहनलाल पटले (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में किया है। उक्त दोनों साक्षीगण के कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

11— सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4 "क" की उपधारा-1 के अंतर्गत आरोपी के द्वारा घटना के समय अंक व संख्याओं के रूप में सट्टा-पट्टी लिखने का तथ्य प्रमाणित होने पर उपधारा-2 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि उक्त अंक व संख्याओं के रूप में सट्टा-पट्टी लिखकर पैसे का दांव आरोपी के द्वारा लगाया जा रहा था, जब तक आरोपी उसके प्रतिकूल साबित न कर दे। आरोपी के द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में यह साबित नहीं किया गया है कि उसके द्वारा सट्टा-पट्टी में अंको व संख्या लिखकर पैसे का दांव नहीं लगाया जा रहा था। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही पर संदेह करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में मात्र अन्य साक्षीगण के द्वारा जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन न करने से अभियोजन मामला प्रभावित नहीं होता है। मामलों में ऐसी संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट नहीं होती, जिनका लाभ आरोपी को प्राप्त हो सके।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल

रहा है कि आरोपी दिनांक-19.10.2012 को करीब 08:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत स्थान वार्ड नं. 06 मस्जिद के सामने चौक में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतों पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुएं के प्रचार-प्रसार में सहयोग किया। अतः आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के दण्डनीय अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

13- आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि उसका यह प्रथम अपराध है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दंडित किया जावे।

14- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। आरोपी के द्वारा प्रकरण में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है, जिसमें वह लगातार नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

15- मामले में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

16- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17- प्रकरण में जप्तशुदा कुल 125/-रुपये अपील अवधि पश्चात् राजसात किया जावे तथा एक सट्टा-पट्टी, एक डॉट पेन मूल्यहीन होने अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट